राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,
परिवहन मार्ग, चौमूं हाउस सर्किल,जयपुर
वित्त (नियम) विभाग (0141–2374671)

क्रमांक :–एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/25/2022/2670 दिनांकः–23/06/2022

कार्यालय आदेश

पुनरीक्षित वेतनमान विनियम, 2017 के अधीन दिनांक 01.04.2022 से निगम कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के अनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी एवं परिवार निःशुल्क यात्रा पास (सरलीकृत) विनियम, 1985 के विनियम 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

क्रम संख्या	सुविधा उपयोग हेतु श्रेणीकरण	कर्मचारी एवं उसके पारिवारिक सदस्य सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन, श्रेणी, वर्गीकरण के अनुसार निम्न श्रेणी की वाहन सेवाओं में इस प्रयोजन हित यात्रा के पात्र होंगे
1.	(i) किसी भी लेवल में 57400/– रू0 या इससे अधिक मूल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (ii) लेवल 11 (ग्रेड पे 4200) एवं इससे अधिक में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी	वातानुकूलित वाहन या अन्य किसी वाहनों में
2.	(i) किसी भी लेवल में 35600/– रू0 या इससे अधिक किन्तु 57400/– रू0 से कम मूल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (ii) लेवल 10 (ग्रेड पे 3600) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी	सुविधा वाहनों में या द्रुतगामी या साधारण वाहनों में।
3.	लेवल 1 से 9 में 35600/– रू0 से कम मूल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी	द्रुतगामी या साधारण वाहनों में

यात्रापास की छपाई के व्यय में वृद्धि के मध्येनजर कलैंडर वर्ष 2023 से निःशुल्क यात्रा पास जारी किये जाने के लिए निगम के सेवारत कर्मचारी से 300/– रू0 वार्षिक कटौती कर 50 निःशुल्क यात्रा पास, सेवानिवृत कार्मिक से 60/–रू0 वार्षिक निगम कोष में जमा कर 10 निःशुल्क यात्रा पास एवं मृतक कार्मिक की विधवा/विधुर से 30/–रू0 वार्षिक निगम कोष में जमा कर 5 निःशुल्क यात्रा पास की सुविधा प्रदान की जावेगी।

यह आदेश अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किये जा रहे हैं।

(वीना गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार

कमांक :–एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/25/2022/2670 दिनांकः– 23/06/2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0...।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, ...।
9. रक्षित पत्रावली।

महा प्रबन्धक (वित्त)